न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

मिसल न0– 38 / 2022

अनवान :–

1. रसीद खां पुत्र शेरखा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।।

सायल

बनाम्

1. कुतबदीन पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. जैना पुत्री फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
3. जुबेदा पत्नी फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
4. जुलेखा पुत्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
5. नगमा पुत्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
6. मकबूल पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
7. मदीना पुत्री फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
8. मुस्ताक पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
9. युनस पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
10. युसफ पुत्र जमलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
11. रजाक पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
12. रमज्यान पुत्र गनी जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
13. रूसतम पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
14. रसीद पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 16/06/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 213 / 97 की कुल 3.0360हैक भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 67 / 66 की कुल 1.5180हैक भूमि गैरसायलान के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

सायल को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में चक 26 डीपीएन के स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 14 की भूमि के प0न0 326 / 440(119) के किला न0 25 के मिन पूर्व की 0. 0130हैक भूमि में से होते हुए अपनी भूमि के प0न0 326 / 440(119) के किला न0 16 में प्रवेश कर जाता है इसी रास्ता से सायल सदामत से आवागमन करता आ रहा है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है।

उक्त रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान कभी भी उक्त रास्ता को बन्द कर सकते है जिससे सायल को भारी नुकसान होगा एव वह अपनी कृषि भूमि काश्त करने से वंचित हो जावेगा इसलिये सायल उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 14 की रोही मौजा चक 14 बारानी के प0न0 326 / 440(119) के किला न0 25 मिन पूर्व में 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0130हैक्‍ भूमि में रास्ता स्वीकार फरमावे एवं रास्ता की भूमि के बदले में सायल की भूमि के प0न0 326 / 440(119) के किला न0 16 दक्षिण में किला न0 25 के चिपती हुई रास्ता की भूमि को छोडते हुए 0.0130हैक्‍ भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान संख्या 2 ता 14 को रजिस्टर सम्मन से तलबि किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई एवं गैरसायल संख्या 1जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायलान की भूमि मे से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब / मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायलान संख्या 1 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 14 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के खेत पडोसी है सायल अपने खेत मे जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है तथा गैरसायल संख्या 2 ता 14 जो गैरसायल संख्या 1 के परिवार के सदस्य है न्यायालय में उपस्थित नही आये ना ही किसी प्रकार की आपत्ती पेश की अर्थात गैरसायल संख्या 2 ता 14 की मौन स्वीकृति है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल एवं गैरसायल 1 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 14 की सयुक्त खाते की भूमि रोही मौजा चक 14 बारानी के प0न0 326 / 440(119) के किला न0. 25 मिन पूर्व की 0.0130हैक्‍ भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल की भूमि के प0न0 326 / 440(119) के किला न0 16 के दक्षिण में किला न0 25 के चिपती हुई रास्ता की भूमि को छोडते हुए 0.0130हैक्‍ भूमि गैरसायल के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 1880 दिनांक 16/6/22

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 38 सन 2022 निर्णय दिनांक 16/6/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. रसीद खां पुत्र शेरखा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।।

सायल

बनाम्

1. कुतबदीन पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. जैना पुत्री फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
3. जुबेदा पत्नी फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
4. जुलेखा पुत्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
5. नगमा पुत्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
6. मकबूल पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
7. मदीना पुत्री फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
8. मुस्ताक पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
9. युनस पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
10. युसफ पुत्र जमलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
11. रजाक पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
12. रमज्यान पुत्र गनी जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
13. रूसतम पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
14. रसीद पुत्र फजलदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि गैरसायलान संख्या 1 ता 14 की सयुक्त खाते की भूमि रोही मौजा चक 14 बारानी के प0न0 326 / 440(119) के किला न0. 25 मिन पूर्व की 0.0130हैक्‍ भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल की भूमि के प0न0 326 / 440(119) के किला न0 16 के दक्षिण में किला न0 25 के चिपती हुई रास्ता की भूमि को छोडते हुए 0. 0130हैक्‍ भूमि गैरसायल के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर